न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 53/2019

1 राजपाल पुत्र बजरंगलाल
2 जगपाल पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासीगण हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 मुलचन्द पुत्र सांवलराम जाति जांगिड़ निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
2 हरफुल पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं। मृतक
2/1 मनभरी देवी पत्नी स्व. हरफुल सिंह जाति जाट निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
2/2 विजयपाल सिंह पुत्र स्व. हरफुल सिंह जाति जाट निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
2/3 अमिता पुत्री स्व. हरफुल सिंह पत्नी शिशपाल जाति जाट निवासी टांई तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
2/4 अरूणा पुत्री स्व. हरफुल सिंह पत्नी मोहरसिंह जाति जाट निवासी धिंधवा बिचला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
3 बजरंगलाल पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
4 निहाल सिंह पुत्र रामनिवास
5 मुलचन्द पुत्र रामनिवास
6 विद्याधर पुत्र रामनिवास
7 राजेन्द्र पुत्र रामनिवास जाति नाई निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
8 रघुवीर सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

9 पंजाब नेशनल बैंक शाखा झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं।
10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
11 श्रीमती भतेरी देवी आयु 45 साल पत्नी श्रीचन्द जाति जाट निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
12 श्रीमती सुनिता देवी आयु 35 साल पत्नी विक्रम जाति जाट निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील बखिलाफ निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मलसीसर मुकदमा उनवानी राजपाल बनाम मुलचन्द वगै. मुकदमा बाबत दावा बाबत विभाजन, घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषे. मु.नं. 352/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2019

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 9/9/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 352/2013 में पारित निर्णय दिनांक 21.05.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने एक वाद विभाजन, घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 237 के हाल खसरा नम्बर 667, 668, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 703/869 व 755 वाके ग्राम हंसासर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण ने एक दावा बाबत विभाजन, घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था। उक्त दावा में विभाजन व घोषणा की मुख्य रिलिफ थी। उक्त दावा में वादीगण ने गत खसरा नम्बर 237 में से 4 बीघा पुख्ता भूमि दिनांक 22 जनवरी 1996 को क्रय की थी तथा विक्रय पत्र वादीगण के नाम तस्दीक हुआ तथा उक्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राजपाल व जगपाल रकबा 1.01 हैक्टेयर हिस्से के रूप में सहखातेदार के रूप में नाम दर्ज है। उक्त गत खसरा नम्बर 237 के हाल खसरा नम्बर 667, 668, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 703/869 व 755 बने है। अपीलार्थीगण ने उक्त भूमि का विभाजन व अलग काश्तकारी घोषित करवाने के लिये दावा प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने विभाजन के दावे को आदेश 07 नियम 11 में निरस्त कर दिया। जबकि विभाजन किसी भी सह खातेदार का अधिकार है। जिसको न्यायालय मना नही कर सकता ना ही दावा आदेश 07 नियम 11 में खारिज कर सकता है। उक्त दावा में कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र लंबित है जिसको निस्तारण करने की विचारण न्यायालय ने जरूरत नहीं समझी। कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र तय होने से पूर्व ही अपीलार्थीगण का दावा खारिज कर दिया जो कि कानून की मन्सा के विपरित है। प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 एक वेग प्रार्थना पत्र है तथा उक्त वेग प्रार्थना पत्र के आधार पर विचारण न्यायालय ने इस्पेसिफिक आदेश पारित किये बिना अपीलार्थीगण का विभाजन एवं घोषणार्थ का दावा खारिज कर दिया जो विचारण न्यायालय की गम्भीर गलती है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया उक्त प्रार्थना पत्र केवल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने प्रस्तुत किया है तथा दावा में प्रतिवादीगण 12 है। विचारण न्यायालय ने फिर भी अपीलार्थीगण का दावा खारिज करने में गलती कानूनी की है। उक्त दावा में प्रतिवादी नम्बर 1 व 4 लगायत 7 ने जवाब

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रस्तुत कर दिया था। जिसमें आदेश 07 नियम 11 की कोई उजरदारी नहीं है फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण का दावा खारिज करने में गलती कानूनी की है। आदेश 07 नियम 11 के क, ख, ग, घ में अपीलार्थीगण का दावा नहीं आता है फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण का द्रावा खारिज करने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.05.2019 निर्णय की तारीफ में नहीं आता है। आदेश 07 नियम 11 के किसी भी बिन्दु का विश्लेषण नहीं किया है। इसलिये विचारण न्यायालय का निर्णय काबिले निरस्त है। विचारण न्यायालय ने डिक्री नहीं बनाई है निर्णय के आधार पर अपील पेश की जा रही है। डिक्री बाद में प्रस्तुत की जावेगी। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि दावा में वादीगण द्वारा दर्ज नहीं किया गया है कि कौनसी खसरा नम्बर भूमि की भूमि पर वह काबिज है एवं चाही गई सिद्धि में खसरा नम्बर 697 व 698 गै. मु. रास्ता दर्ज है यह सिद्धि अदालत द्वारा प्रदान नही की जा सकती है न ही वादीगण नक्शे में लाल रंग की भूमि बताते है जो खसरा नम्बर 755 है जो 1.60 है. है इस कारण खसरा नम्बर 697 व 698 का निर्माण उनकी भूमि में से होने का प्रश्न नहीं है एवं उक्त खसरा नम्बर 697, 698 संयुक्त खातेदारी की भूमि है को टिनेन्ट के खिलाफ उपरोक्त सिद्धि नहीं दी जा सकती। इस प्रकार जब वादी की भूमि में से किसी प्रकार का कोई रास्ता कायम ही नहीं किया गया तो वाद कारण पैदा होने का प्रश्न नहीं होता है। इस कारण वाद कारण के अभाव में खारिज होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण ने एक दावा बाबत विभाजन, घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था। उक्त दावा में विभाजन व घोषणा की मुख्य रिलिफ थी।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावा में वादीगण ने कथन किया है कि गत खसरा नम्बर 237 में से 4 बीघा पुख्ता भूमि दिनांक 22 जनवरी 1996 को क्रय की थी तथा विक्रय पत्र वादीगण के नाम तस्दीक हुआ तथा उक्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राजपाल व जगपाल रकबा 1.01 हैक्टेयर हिस्से के रूप में सहखातेदार के रूप में नाम दर्ज है। उक्त गत खसरा नम्बर 237 के हाल खसरा नम्बर 667, 668, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 703/869 व 755 बने है। अपीलार्थीगण ने उक्त भूमि का विभाजन व अलग काश्तकारी घोषित करवाने के लिये दावा प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने विभाजन के दावे को आदेश 07 नियम 11 में निरस्त कर दिया।

विधि अनुसार विभाजन किसी भी सह खातेदार का अधिकार है। जिसको न्यायालय मना नही कर सकता ना ही विभाजन का दावा आदेश 07 नियम 11 में खारिज कर सकता है। उक्त दावा में कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र लंबित था। जिसको निस्तारण किये बिना विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण का दावा खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। आदेश 07 नियम 11 की परिधि क, ख, ग, घ में अपीलार्थीगण का दावा नहीं आता है फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण का दावा आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में आदेश 07 नियम 11 के किसी भी बिन्दु का विश्लेषण नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। विधि अनुसार विचारण न्यायालय को संपूर्ण प्रतिवादीगण का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई वाद का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना चाहिए था।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में संपूर्ण प्रतिवादीगण का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुनः विधि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.09.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 9/9/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

( अनिल कुमार II )
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर